


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर या अहकाम हुकम की में जारी
25 <sup>11</sup> / <sub>21</sub>	<p>           पत्रावली काय केस साली में पेश हुई            पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं कौटु            क्तवादी व प्रत्यक्षलेख विरीक से रिपोर्ट            ली गई। नाम सं. 880 का अवलोकन            किया गया। नाम साली की कारागी <del>साली</del>            सं. 551 संख्या 1 बीका। खिल्ला वराने.            बापूलाल व प्रभूलाल दोनों को भाई होंगे            1/2 हिस्से के खातेदार हैं जिनमें बापूलाल            सि. रूगनाथ की मृत्यु हुई एवं प्रभूलाल सि.            रूगनाथ जीवित हैं परन्तु नाम सं. 880            दर्ज करते समय खातेदार बापूलाल के            अनाम प्रभूलाल को कोत होना बटा दिया            एवं बापूलाल के वसीयत का नाम दर्ज            किया। जांचकर्ता आधिकारी व तस्दीककर्ता            नाम पंचायत, साली द्वारा बिना किसी            जांच बिना उक्त नामों को तस्दीक कर            दिया जो गलत है।         </p> <p>           अतः प्रस्तुत कमीशन में नाम साली            का नाम सं. 880 दि. 20.09.2014 को            निरस्त किया जाकर पत्रावली तस्दीककार            रामपुर को इस आशय के लाभ रिमाण्ड            की जाती है कि मृतक बापूलाल सि.            रूगनाथ की मृत्यु के संबंध में जांच कर            लिये बिना से नामांतरण दर्ज करे। तब            रामपुर को वसीयत जारी कर बिना की प्रती            भेजी जाये। पत्रावली में नाम सुधार होना            गारंटील वरदान है।         </p> <p style="text-align: right;">           (सन्तोष कुमार मीना)       </p>	

